अनुस्मारक

ई.सं. 300216534
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार
आर्थिक कार्य विभाग
प्रशासन-I
***

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 24 जनवरी, 2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अनुकंपा नियुक्ति योजना - आर्थिक कार्य विभाग में अनुकंपा के आधार पर एमटीएस के दो (2) आरक्षित पदों को भरे जाने के लिए आर्थिक कार्य विभाग में कार्यरत दिवंगत सरकारी कर्मचारी के पति या पत्नी/परिवार के सदस्यों में से एक से आवेदन आमंत्रित करना - आर्थिक कार्य विभाग में चयन के लिए योग्यता क्रम प्रणाली से संबंधित

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 29.9.2022 (प्रति संलग्न) के समसंख्यक का.ज्ञा. का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जिसमें इस विभाग में अनुकंपा के आधार पर एमटीएस के दो पदों को भरने के लिए आर्थिक कार्य विभाग के दिवंगत सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्यों से आवेदन मांगे गए हैं। इस संबंध में, यह कहा गया है कि प्रभावित परिवारों के कुछ उम्मीदवारों से प्रतिक्रियाएं अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

2. प्रत्येक प्रभावित परिवार को अंतिम अवसर प्रदान करने के तथ्य पर विचार करते हुए, इस विभाग द्वारा उक्त का.ज्ञा. जारी होने की तारीख से पंद्रह (15) दिनों तक आवेदन प्राप्त करने की तारीख बढ़ाने का सुविचारित निर्णय लिया गया है। प्रभावित परिवारों के आवेदकों से अनुरोध है कि वे अनुभाग अधिकारी, प्रशा.I अनुभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, कमरा नंबर 230-ए, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली -110001 (पंजीकृत डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से) को अपना आवेदन प्रस्तुत करें। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

24/1/23

(संजय कुमार पंडिता)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 011 2309 5162

संलग्नक: आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 29.9.2022 के समसंख्यक का.ज्ञा. के साथ-साथ अनुबंध-I II, III, शपथ पत्र और वचनपत्र के प्रपत्र।

सेवा में

आर्थिक कार्य विभाग के दिवंगत कर्मचारी के आश्रित/पति/पत्नी
पता

(क) विभाग की वेबसाइट (https://dea.gov.in)

(ख) केएमएस पोर्टल के माध्यम से नोटिस बोर्ड

स्पीड पोस्ट द्वारा

ई-.300216534-प्रशा.I
भारत सरकार
वित्त मत्रांलय
आर्थिक कार्य विभाग
****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक: 29th सितम्बर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए योजना--आर्थिक कार्य विभाग में अनुकंपा आधार पर भरे जाने वाले एमटीएस के दो (2) आरक्षित पदों के आर्थिक कार्य विभाग में चयन हेतु मेरिट पांईट्स सिस्टम से भरने के लिए उस मृतक सरकारी कर्मचारी के पति/पत्नी/परिवार के किसी एक सदस्य से जो आर्थिक कार्य विभाग में कार्यरत था, से आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/02/2012-स्था.(घ), दिनांक 16.01.2013 (www.dopt.gov.in पर उपलब्ध) की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है, जिसके तहत अनुकंपा नियुक्ति पर समेकित निर्देश जारी किये थे। तदुपरांत, केंद्र सरकार द्वारा अनुकंपा नियुक्ति पर कई निर्देश जारी किए गए हैं। संदर्भ और मार्गदर्शन की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण/प्रासंगिक कार्यालय ज्ञापनों और आदेशों की सामग्री को आगे समेकित किया गया है और डीओपीटी द्वारा अपनी वेबसाइट www.dopt.gov.in पर गतिक रूप में (अधिसूचनाएं>का.ज्ञा. और आदेश> स्थापना> अनुकंपा नियुक्तियां) उपलब्ध कराया गया है।

2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार, अधोहस्ताक्षरी को आर्थिक कार्य विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए इस योजना (अनुबंध-I) से अवगत कराने का निदेश दिया गया है।

3. इसके अलावा, अधोहस्ताक्षरी को मृतक सरकारी कर्मचारी जो आर्थिक कार्य विभाग में कार्यरत थे, के पति/पत्नी/परिवार के सदस्यों में से किसी एक को आर्थिक कार्य विभाग में मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) (समूह 'ग') के दो (2) पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने का निदेश दिया गया है।

4. आवेदक इस कार्यालय ज्ञापन, इसके अनुबंधों और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी प्रासंगिक निर्देशों/दिशानिर्देशों को ध्यान से पढ़ें और एमटीएस की उक्त दो (2) रिक्तियों की नियुक्ति के लिए अपना आवेदन विचारार्थ भेजे। इस मामले में अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की संस्तुति हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मौजूदा दिशानिर्देशों / निर्देशों का विधिवत रूप से अनुपालन किया जाएगा।

5. यह भी उल्लेखनीय है कि आपके आवेदन को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 जनवरी, 2013 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14014/02/2012-स्था (घ) और समय-समय पर उनके द्वारा जारी स्पष्टीकरणों में निर्धारित अर्हता शर्तों को पूरा करने के लिए सत्यापित किया जाएगा। आवेदन-पत्रों का मूल्यांकन आर्थिक कार्य विभाग (अनुबंध-II) द्वारा अनुमोदित विभिन्न मानकों वाले 100-अंक पैमाने पर किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों के नाम दर्शाते हुए अंतिम परिणाम इस विभाग की वेबसाइट पर डाला जाएगा।

6. इस कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध-III के भाग 'क' के अंत में उल्लिखित संलग्नकों के साथ विधिवत रूप से भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र भेजा जाए।

7. कृपया ध्यान दें कि यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र में झूठी/गलत जानकारी है, तो अनुकंपा श्रेणी के तहत रोजगार के प्रस्ताव पर विचार के लिए आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि नियुक्ति के प्रस्ताव के जारी होने के बाद, कार्यभार ग्रहण करने पर, यदि शपथ-पत्र की कोई भी सामग्री झूठी/गलत पाई जाती है, तो इससे नियुक्ति के प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है और/या सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए, आवेदक को सलाह दी जाती है कि वह शपथ-पत्र की सामग्री को ध्यान से पढ़े और समझें और यह सुनिश्चित करें कि केवल सही जानकारी प्रदान की जाए, जो दस्तावेजों / अभिलेखों द्वारा विधिवत् रूप से समर्थित है जिसे सत्यापित किया जा सकता है। शपथ-पत्र तैयार करने में किसी भी स्पष्टीकरण/सहायता के लिए इस विभाग के कल्याण अधिकारी (श्री अलोक कुमार तिवारी) से कार्यालय समय के दौरान ई-मेल alokkumar.tiwari@nic.in या फोन नंबर 011-23095061 पर संपर्क कर सकते हैं।

8. आवेदकों द्वारा आवश्यक दस्तावेज अनुभाग अधिकारी, एडी.I अनुभाग, कमरा संख्या 230-ए, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001 को (पंजीकृत डाक या व्यक्तिगत रूप से) 28.10.2022 (इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के 30 दिनों के भीतर) सायं 5.30 बजे तक जमा करना अपेक्षित है। ऐसा न करने पर अनुकंपा नियुक्ति पर विचार करने के लिए आपके आवेदन को रद्द किया जा सकता है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अशोक
29.9.2022

(अशोक कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
ashok.kumar82@nic.in
दूरभाष: 011-2309 2480

संलग्नक: अनुबंध-I, II, III, शपथ-पत्र और वचनपत्र के प्रारूप (इस कार्यालय ज्ञापन सहित पृष्ठों की कुल संख्या 19)

सेवा में
आर्थिक कार्य विभाग के मृतक कर्मचारी के आश्रित/पत्नी/पति
पता

(क) विभाग की वेबसाइट (https://dea.gov.in)

(ख) नोटिस बोर्ड- केएमएस पोर्टल के माध्यम से

प्रतिलिपिः

1. (श्री अलोक कुमार तिवारी), अवर सचिव एव कल्याण अधिकारी (alokkumar.tiwari@nic.in), आर्थिक कार्य विभाग (ईमेल द्वारा)।
2. अनुकंपा नियुक्ति समिति के सदस्यों को ई-मेल द्वारा।
3. ई-गार्ड फाइल-2022

दिनांक 29.09.2022 के का.ज्ञा.सं .ई-300216534- प्रशा-I का अनुबंध-III

आर्थिक कार्य विभाग में कार्यरत सेवा में रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होने वाले/ चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित द्वारा अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन-पत्र

भाग-क

1.	(क)	सरकारी सेवक का नाम (मृतक/ चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त)	
	(ख)	सरकारी सेवक का पद (मृतक/ चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त)	
	(ग)	यह एमटीएस (पूर्ववर्ती ग्रुप 'घ') है या नहीं? यदि एमटीएस से इतर है, तो कृपया पदनाम का उल्लेख करें	
	(घ)	सरकारी कर्मचारी की जन्म तिथि (मृतक/ चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त)	
	(ङ)	मृत्यु चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति की तिथि	
	(च)	प्रदान की गई सेवा की कुल अवधि	
	(छ)	क्या स्थायी या अस्थायी है	
	(ज)	क्या सामान्य / एससी / ~~एसटी~~ / ओबीसी / ओएच / एचएच / वीएच से संबंधित है	
II	(क)	नियुक्ति मांगने वाले अभ्यर्थी का नाम (यदि मृतक सरकारी कर्मचारी का पति/पत्नी/अपने परिवार के किसी सदस्य/मृतक सरकारी कर्मचारी के	

(क) विभाग की वेबसाइट (https://dea.gov.in)

(ख) नोटिस बोर्ड- केएमएस पोर्टल के माध्यम से

प्रतिलिपिः

1. (श्री अलोक कुमार तिवारी), अवर सचिव एव कल्याण अधिकारी (alokkumar.tiwari@nic.in), आर्थिक कार्य विभाग (ईमेल द्वारा)।
2. अनुकंपा नियुक्ति समिति के सदस्यों को ई-मेल द्वारा।
3. ई-गार्ड फाइल-2022

		आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति के लिए नामित करने का निर्णय लेता है, तो इस आशय का एक वचनपत्र संलग्न प्रोफार्मा में दिया जाना चाहिए।	
	(ख)	मृतक सरकारी कर्मचारी के साथ उसका संबंध	
	(ग)	आवेदक की जन्म-तिथि #	
	(घ)	अंतिम अर्हता से शुरू होकर मैट्रिक तक कालानुक्रमिक शैक्षिक अर्हताएं *	
	(ङ)	क्या आर्थिक कार्य विभाग में अनुकंपा के आधार पर परिवार के किसी अन्य आश्रित सदस्य की नियुक्ति की गई है। यदि हां ,तो कृपया नाम ,पदनाम और नियुक्ति की तिथि दें	

*मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मैट्रिक है। मृतक सरकारी सेवक (मृतक की विधवा को छोड़कर) का कोई भी आश्रित आवेदक, जिसके पास न्यूनतम अर्हता नहीं है, अनुकंपा के आधार पर 'प्रशिक्षु' (एफएक्यू 35) के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उक्त व्यक्ति को 5 (एफएक्यू 43) वर्षों में मैट्रिक की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करनी होगी। विधवा के मामले में, किसी पद की शैक्षिक अर्हता जो डीओपीटी की (6(घ) दिनांक 16.01.13) को पूरा नहीं करती है, अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है, उसे केवल मल्टी-टास्किंग स्टाफ पद के विरुद्ध नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते नियुक्ति प्राधिकारी संतुष्ट हो कि वह नौकरी प्रशिक्षण पर कुछ लोगों की मदद से पद के कर्तव्यों को संतोषजनक ढंग से पूरा कर सकती है।

#आवेदन की तिथि को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा में 18 वर्ष से कम आयु की छूट नहीं दी जा सकती है।

एमटीएस के लिए भर्ती नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष है। जहां आवश्यक हो ,ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जा सकती है।

आयु सीमा 'आवेदन की तिथि 'के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि ,जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है ,आवेदक की आयु निर्धारित करने के लिए अंतिम तिथि होगी।

प्रतिबंध: चिकित्सकीय रूप से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त होना चाहिए (तत्कालीन समूह 'घ' कर्मचारियों के लिए 57 वर्ष)

वरिष्ठता के संबंध में, इस बात पर गौर किया जाए कि किसी विशेष भर्ती वर्ष में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को उस वर्ष में सीधी भर्ती, प्रोन्नति आदि के माध्यम से भर्ती/नियुक्त सभी अभ्यर्थियों में सबसे नीचे रखा जाए, चाहे उस वर्ष में अनुकंपा के आधार पर अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख कुछ भी हो।

(2) अनुकंपा पर नियुक्त दो व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता का निर्धारण किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से वरिष्ठ के रूप में पहले कायर्भार ग्रहण के आधार पर किया जाएगा।

III.	की राशि सहित शेष कुल आस्तियों का विवरण		
	(क)	मासिक पारिवारिक पैंशन (महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते को छोड़कर मूल वेतन)	
	(ख)	डीसीआर ग्रेच्युटी	
	(ग)	जीपीएफ शेष राशि	
	(घ)	केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस)	
	(ङ)	छुट्टी के एवज में नकद भुगतान	

	(च)	आर्थिक कार्य विभाग से प्राप्त कोई अन्य राशि	
	(छ)	चल और अचल संपत्तियां	
	(ज)	चल/अचल संपत्ति	
		कुल:	
IV	देनदारियों का संक्षिप्त विवरण		

V					
क्र.सं.	नाम	मृतक सरकारी कर्मचारी के साथ सम्बन्ध	आयु	पता	कार्यरत हैं या नहीं (यदि कार्यरत हैं तो
					रोजगार और
					परिलब्धियों का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					

VI. **घोषणा/वचन**

1. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा ऊपर दिए गए तथ्य मेरी सर्वोतम जानकारी के अनुसार सही हैं। यदि भविष्य में इसमें उल्लिखित कोई भी तथ्य गलत या असत्य पाया जाता है, तो मेरी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
2. मैं एतद्द्वारा यह भी घोषणा करता हूं कि मैं परिवार के अन्य सदस्यों का उचित भरण पोषण करूंगा जो इस प्रपत्र का भाग-क के (क) के विरूद्ध उल्लिखित मृतक सरकारी कर्मचारी/सशस्त्र बलों के सदस्य पर आश्रित थे और यदि किसी भी समय यह साबित हो जाता है कि उक्त परिवार के सदस्यों की उपेक्षा की जा रही है या मेरे द्वारा ठीक से पालन-पोषण नहीं किया जा रहा है, तो मेरी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

दिनांक:

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर (यदि आवेदक हस्ताक्षर करने में सक्षम नहीं है तो अंगूठे का निशान)

नाम______________________________________:

पता______________________________ __________:

मोबाइल नंबर __________________________ _:

ईमेल आईडी______________________________________:

इस आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज़ों की सूची

.1	आवेदक के शैक्षिक अर्हता प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति
.2	आवेदक के जन्म-तिथि प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति;
.3	आर्थिक कार्य विभाग के मृतक सरकारी कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण-पत्र;
.4	आवेदक के पते का प्रमाण;
.5	शपथ-पत्र पर अन्य आश्रितों से विधिवत रूप से भरा हुआ सहमति पत्र (प्रारूप संलग्न);
.6	हलफनामा (प्रारूप संलग्न) विधिवत भरा हुआ और मजिस्ट्रेट / नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित;
.7	वैवाहिक स्थिति के संबंध में वचन (प्रारूप संलग्न);

ई सं.300216534

भाग – ख

(आ.का.वि. के प्रशा. I अनुभाग द्वारा भरा जाना है)

(I)	(क)	आवेदक का नाम		
	(ख)	मृतक सरकारी कर्मचारी के साथ उसका संबंध		
	(ग)	जन्म-तिथि शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव, यदि कोई हो		
	(घ)	पद (समूह-ग) जिस पर रोजगार प्रस्तावित है	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)	
	(ङ)	क्या अनुकंपा नियुक्ति योजना के अंतर्गत निर्धारित 5% की सीमा के भीतर उस पद पर रिक्ति है?	हां	
	(च)	क्या भरे जाने वाला पद केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में शामिल है या नहीं	नहीं	
	(छ)	क्या प्रासंगिक भर्ती नियमों में सीधी भर्ती के लिए प्रावधान हैं	हां	
	(ज)	क्या अभ्यर्थी इस पद के लिए भर्ती नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करता है (हां या नहीं) (यदि नहीं, तो विवरण दें)	(i) शिक्षा वार	
			(ii) न्यूनतम आयु वार	
			(iii) अधिकतम आयु वार	

	(i)	रोजगार कार्यालय/कर्मचारी चयन आयोग/अधिशेष प्रकोष्ठ/पदों को भरने से प्रतिबंध के आदेशों की छूट के अलावा, यदि कोई अन्य छूटें दी जानी हैं - कृपया निर्दिष्ट करें		
(II)		क्या भाग क में-उल्लिखित तथ्यों का कार्यालय द्वारा सत्यापन किया गया है और यदि हां, तो अभिलेखों का उल्लेख करें	सेवा रिकॉर्ड के अनुसार	
(III)		यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु/चिकित्सा आधार पर 5 वर्ष से अधिक समय पहले सेवानिवृत्त हुए, तो यह मामला पहले क्यों नहीं प्रायोजित किया था।	क्या हम ऐसे मामलों पर विचार कर रहे हैं?	
(IV)		क्या यह आवेदन मानदंडों को पूरा करता है और अनुकंपा नियुक्ति के लिए 3 सदस्यीय समिति के समक्ष रखा जा सकता है		

जांच के दौरान, यदि इस मामले से संबंधित कोई अतिरिक्त विवरण या जानकारी सामने आती है, तो उसे आवेदन में पूरक टिप्पणी के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। (डीओपीटी के दिनांक 23.08.21 के कार्यालय ज्ञापन का पैरा iv)

मंत्रालय/विभाग में विभागाध्यक्ष की व्यक्तिगत अनुशंसा (उनके हस्ताक्षर और कार्यालय मोहर/मुहर सहित)

ई-300216534-प्रशा.I

भाग-ग

श्री/सुश्री ………………………………द्वारा प्रस्तुत सभी ब्यौरों के मूल्यांकन संबंधी 3 सदस्यीय समिति द्वारा दिए गए अंक।

श्री/श्रीमती………………………………………………………जिन्की मृत्यु दिनांक…………………… को हुई थी, उनके आश्रित पत्नी/सुपुत्र/सुपुत्री …………. ……………………………को 100 अंक-मापक्रम के आधार पर आर्थिक कार्य विभाग में एम. टी.एस. के पद पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु।

क्र .सं.	मानक	मानकों के लिए आवंटित अंक	अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक
1.	पारिवारिक पेंशन (महंगाई भत्ता और भत्ते को छोड़कर मूल वेतन)	15	
2.	सेवांत लाभ (डीसीआरजी, जीपीएफ, सीजीईजीआईएस, छुट्टी नकदीकरण)	10	
3.	मृतक की शेष सेवा अवधि	10	
4(i)	अविवाहित बेटी(यां) / न्यायिक रूप से अलग हुई / विधवा बेटी(यां)	10	
4(ii)	नाबालिग बच्चों की संख्या	10	
4 (iii)	शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे	05	
4 (iv)	अन्य आश्रित (अविवाहित बेटियों, नाबालिग बच्चों, शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को छोड़कर) (माता-पिता और आश्रितों की अन्य श्रेणी)	10	

5.	कमाने वाले सदस्यों की वार्षिक आय और संपत्ति से आय	10	
6.	चल संपत्ति	02	
	अचल संपत्ति	08	
7.	किसी बैंक से ऋण	10	
	कुल	100	

टिप्पणी किन्हीं दो आवेदकों के बीच :बराबरी होने की स्थिति में, समिति अनुबंध-I के का .ज्ञा. -ई.सं300216534-प्रशा.I, दिनांक 29.09.2022 के पैरा 5 से 5.3 के आधार पर बराबरी की स्थिति को हटा सकती है।

वचन

मैं, स्वर्गीय श्री श्रीमती/.. का पुत्र/ की पुत्री पत्नी /श्री श्रीमती/................................., निवासी
....
....
.... (पूरा पता) एतद्द्वारा वचन देता/देती हूं कि:

i) मैं (विवाह की तिथि ....) से विवाहित हूं और मेरे पति/पत्नी और बच्चों के नाम इस प्रकार हैं।

क)

ख)

ग)

ii) मैं अविवाहित हूँ।

** कृपया या तो (i) या (ii), जो लागू न हो काट दें।

स्थान .... हस्ताक्षर

दिनांक.................. (नाम बड़े अक्षरों में)

स्वर्गीय श्री/श्रीमती ,पदनाम

आ.का.वि. के परिवार के अन्य आश्रित सदस्यों से सहमति-पत्र

विषयः अनुकंपा श्रेणी के अंतर्गत नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र।

संदर्भ सुश्री/श्री :____________________ से दिनांक _____________ का आवेदन

श्री श्रीमती/____, मृतक

श्री श्रीमती/____) मृतक सरकारी कर्मचारी (

के पुत्रपति ने सेवा में मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों को /पत्नी/पुत्री/ आधार पर अनुकंपा केप्रदान करने के लिए आवेदन किया है।

2. हम, मृतक सरकारी कर्मचारी श्री श्रीमती/____के परिवार के निम्नलिखित अन्य आश्रित सदस्य, यदि उक्त नियुक्ति आवेदक श्री श्रीमती/ ____को दी जाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है और इसके लिए हम अपनी सहमति देते हैं।

मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के नाम, पता और दिनांकित हस्ताक्षर (आवेदक के अलावा)

(1)

(2)

(3)

(4)

स्टांप पेपर पर शपथ पत्र-

मैंने, श्री श्रीमती/______________________, पुत्र विधवा श्री/पुत्री/________________ (मृतक सरकारी कर्मचारी), निवासी ______________________________________ ने सरकारी कर्मचारी या चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त के आश्रित (कार्यकाल के दौरान देहांत) पर नियुक्ति परिवार के सदस्य को अनुकंपा के आधारप्रदान करने के लिए अपने आवेदन दिनांक ___________ के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया है।

मैं एतदद्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और निम्नानुसार घोषित करता हूं:

1. यह कि, मैं मृतक सरकारी कर्मचारी श्री श्रीमती/____________ और आश्रित परिवार के अन्य वयस्क सदस्यों में से एक हूँ, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, ने सहमति दी है कि मुझे अनुकंपा श्रेणी के तहत नियुक्ति प्रदान करने के लिए विचार किया जा सकता है।

2. यह कि, मृतक सरकारी कर्मचारी श्री/श्रीमती ____________ के परिवार के सभी आश्रित सदस्यों का विवरण इस प्रकार हैं **(आवेदक सहित):**

(टिप्पणीयदि विवाहित आश्रित बेटी ऐसी आवेदक है :, तो वर्तमान पताव्यवसाय/ सहित वैवाहिक परिवार अर्थात पति।(बच्चों का विवरण भी प्रदान किया जाना चाहिए/

क्र.सं.	आश्रित परिवार के सदस्य का नाम और पता	मृतक के साथ संबंध	लिंग	जन्म तिथि/ आयु	वैवाहिक स्थिति	क्या कार्यरत हैं, यदि हां, तो विवरण, चाहे सरकारी / अर्ध सरकारी / निजी /नियमित / अस्थायी / दैनिक मजदूरी में हो	मासिक आय /रोजगार, व्यवसाय, किराये की आय, संपत्ति से आय आदि सहित सभी स्रोतों से आय/कमाई
1							
2							
3							
4							
5							

6							
7							
8							
9							
		परिवार की कुल मासिक आय (आवेदक सहित)					

3. मैं एततद्वारा यह भी घोषणा करता हूं कि उक्त पैरा **2** में वर्णित आश्रित परिवार के सदस्यों में से मृतक सरकारी कर्मचारी श्री/श्रीमती______________________ की अविवाहित पुत्रियों का विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र .सं.	नाम	जन्मतिथि आयु/	शैक्षणिक अर्हता	व्यवसाय
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

4. यह कि, मृतक सरकारी कर्मचारी श्री/श्रीमती ____________________ के नाम पर या मेरे या मृतक के परिवार के किसी अन्य आश्रित सदस्य के नाम पर चल/अचल संपत्ति का विवरण इस प्रकार हैं:

(i) दुपहिया वाहनों (स्कूटर/मोटरसाइकिल आदि) की संख्या :

(ii) चौपहिया वाहनों (कार/जीप आदि) की संख्या :

(iii) आवासीय संपत्ति का विवरण:

स्थान और विवरण	प्लॉट क्षेत्र (वर्ग फुट में)	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में)	चाहे स्वयं के व्यवसाय के लिए उपयोग किया जाता है या किराए पर दिया गया है	यदि किराए पर दिया गया है, तो मासिक किराये की आय

(iv) कृषि भूमि:

स्थान और विवरण	क्षेत्रफल (एकड़ में)	कृषि भूमि से मासिक आय, यदि कोई हो,

(v) वाणिज्यिक संपत्ति:

स्थान और विवरण	क्षेत्रफल (एकड़ में)	वाणिज्यिक संपत्ति से मासिक आय, यदि कोई हो,

अचल संपत्ति से कुल मासिक आय : रु.
(आवासीय, कृषि और वाणिज्यिक का जोड़)

5. यह कि, मृतक सरकारी कर्मचारी श्री/श्रीमती ____________________ और/या मृतक सरकारी कर्मचारी (बैंक ऋण/सरकारी ऋण/अन्य प्रतिष्ठित उधार एजेंसियों से दिए जाने वाले ऋण, लेकिन निजी/पारिवारिक ऋणों को छोड़कर, जो सरकारी कर्मचारी की मत्यु की तारीख को सत्यापन योग्य नहीं हैं) के नाम पर देनदारियों का विवरण निम्नलिखित है:

क्र .सं.	ऋण की प्रकृति	राशि (मृतक की मृत्यु की तारीख को)	दावे के समर्थन में संलग्न दस्तावेजों की प्रतियां
(i)	देय बैंक ऋण		
(ii)	देय सरकारी ऋण		
(iii)	अन्य उधार देने वाली एजेंसियों से देय ऋण		
(iv)	दस्तावेजों के अनुसार सत्यापन योग्य अन्य मूर्त देनदारियां / निर्दिष्ट करें)		
	कुल		
(कृपया बैंकों/ऋणदाता संस्थानों से संगत दस्तावेज/प्रमाण पत्र संलग्न करें।			

6. मैं एतद्द्वारा यह भी घोषणा करता हूं और वचन देता हूं कि अनुकंपा श्रेणी के तहत नियुक्ति मिलने पर, मैं मृतक श्री/श्रीमती/__________________ के अन्य आश्रितों/परिवार के सदस्यों को / सहायता प्रदान करूंगा, जिनमें नाबालिग बच्चे और अविवाहित बेटियां भी शामिल हैं।

(आवेदक)

साक्षी

सत्यापन दिल्ली में इस :__________दिन सत्यापित किया गया कि शपथ पत्र का विषय मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है।

(आवेदक)

साक्षी